13 कोर्ट फी Re 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 111/2020

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र किशनलाल,
2. बद्रीलाल पुत्र किशनलाल,
3. अमरी पत्नि शुभकरण,
4. धूकण पुत्र शुभकरण,
5. शैतान पुत्र स्व. सांवरलाल,
6. धर्मेन्द्र पुत्र सांवरलाल,
7. सुखपाल पुत्र सांवरलाल,
8. प्रेम पत्नि सांवरलाल समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. धीसालाल पुत्र जगन्नाथ,
2. छोगालाल पुत्र सुखदेव,
3. जयसिंह पुत्र सुखदेव,
4. प्रदान पुत्र सुखदेव,
5. प्रेमदेवी पत्नि सुखदेव,
6. मांगी पत्नि श्योचन्द,
7. लाडा पत्नि जगन्नाथ,
8. लालाराम पुत्र श्योचन्द,
9. संपति पुत्री जगन्नाथ,
10. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ जाति जाट समस्त निवासी ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण :–

1 से 10 अनुपस्थित
11 [illegible] परिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

-: निर्णय :- दिनांक :- 31.5.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 मोराझडी की निम्न आराजी वादीगण व प्रतिादीगण की कयशुदा है :-

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1857	4-9-0	1984	4-8-0	2082	0.24
				2083	0.24
				2084	0.23
1858	1-19-10	1985	1-19-10	2087	0.32

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 1857 व 1858 की आराजी वादीगण के पूर्वज किशनलाल, गंगाराम, श्योचन्द व जगन्नाथ पि0 बालूराम जाति जाट नि0 ग्राम मावशिया द्वारा दिनांक 15.01.1969 को तत्कालीन खातेदार मोहनदास पुत्र नारायण साधू से जरियें विक्रय पत्र क्रय की थी। क्रय भूमि नामान्तकरण संख्या 236 से खातेदारी दर्ज की गयी। क्रेतागण की मृत्यु हो गयी है। जिनके वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 है। उक्त आराजी पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम के वारिस वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का 1/2 हिस्सा निहित है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी क्रेतागण किशनलाल व गंगाराम के वारिसान वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग ने किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम के बजाय किशनलाल पुत्र गंगाराम गलत अंकन कर दिया। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त कर वादीगण को विक्रय पत्र अनुसार ख़ातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 10 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर किशनलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालू दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022-25 में चौसाला खसरा नम्बर 1857 व 1858 मूल खातेदार मोहनदास पुत्र नारायणदास के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 1984 व 1985 तथा हाल खसरा नम्बर 2082, 2083, 2084 व 2087 बने है। नामान्तकरण संख्या 236 द्वारा उक्त आराजी विक्रेता मोहनदास के बजाय किशनलाल, गंगाराम, श्योचन्द व जगन्नाथ पि0 बालूराम जाति जाट के नाम दर्ज की गयी। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालू के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम के नाम [illegible] पत्रावली में [illegible] दस्तावेज व शजरा प्रमाण पत्र अनुसार किशनलाल व गंगाराम दोनो [illegible] के पिता का नाम बालूराम है जबकि राजस्व अभिलेख में किशनलाल [illegible] अंकित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। प्रतिवादी [illegible] अनुपस्थित रहे है। उक्त त्रुटी दुरूसत करने से प्रतिवादी संख्या [illegible] विपरित प्रभाव नही पडेगा। राज0 पैरोकार ने प्रकरण का खण्डन नही किया है त[illegible] जवाब में दुरूस्ती की अभिशंषा की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के तथ्यों की ताईद होती है। वादीगण दुरूस्ती के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम व प0म0 मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 2082/0.24, 2083/0.24, 2084/0.23 व 2087/0.32 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर किशनलाल पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्सा के स्थान पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर नियमानुसार विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लक्ष्मण बनाम घीसालाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 111/2020
पेश करने की दिनांक – 05.10.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम व प0म0 मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 2082/0.24, 2083/0.24, 2084/0.23 व 2087/0.32 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर किशनलाल पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्सा के स्थान पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर नियमानुसार विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 05 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद